

आवेदन फॉर्म
निःशुल्क



हर बहना को
हर साल
₹12 हजार
खुशियों का उपहार

21 से 50 वर्ष तक
की उम्र की बहनों
को हर महीने
₹1000
की सम्मान राशि

हर महीने की
15
तारीख
तक
बैंक खाते में राशि

अधिक जानकारी के लिए

1800-890-0215
टोल फ्री नंबर



3 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रत्येक पंचायत तथा वार्ड/आंगनबाड़ी केंद्र में लगेगा विशेष कैम्प।
उसके बाद अपना आवेदन नजदीकी प्रजा केंद्र में कभी भी जमा कर सकते हैं।

किसे मिलेगा लाभ...

- ▶ झारखण्ड की निवासी
- ▶ 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु
- ▶ आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता
- ▶ जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती हैं, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है
- ▶ मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड
- ▶ झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार*
 - ✦ पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
 - ✦ गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविका प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
 - ✦ सफेद राशन कार्ड (K-011 राशन कार्ड)
 - ✦ हरा राशन कार्ड

*परिवार से तात्पर्य है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे

जरूरी जानकारी

आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा घर-घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जायेगा

ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जायेंगे

शहरी क्षेत्र में वार्ड/आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जायेंगे

आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके

जिला उपायुक्त के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा

आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने मिलेगी सम्मान राशि की जानकारी